

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल
क्रमांक 17581/8/एम.सी/5/16

भोपाल, दिनांक 28/06/2016

// आदेश //

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा समूह-5 पैरामेडिकल संवर्ग एवं अन्य पदों की संयुक्त भर्ती चयन परीक्षा 2015 का परिणाम घोषित करने के पश्चात् व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल के पत्र क्रमांक म0प्र0 व्यापम/5-प-1/2015/7270 भोपाल दिनांक 29.09.2015 के साथ उपलब्ध कराई गई मेरिट चयन सूची तथा इस कार्यालय द्वारा गठित स्कूटनी कमेटी के द्वारा दिनांक 08.01.2016 एवं 02.02.2016 स्कूटनी किये जाने के पश्चात् उपलब्ध कराई गई सूची अनुसार साथ ही मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल का पत्र क्रमांक 389 दिनांक 27.01.2016 एवं पत्र क्रमांक 2184 दिनांक 08.06.2016 द्वारा डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन सत्यापन किये जाने पर निम्नलिखित पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अंतर्गत संविदा पर निश्चित वेतन रू 15,730/- (रूपये पन्द्रह हजार सात सौ तीस मात्र) पर ट्रामा यूनिट, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अंतर्गत एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति की जाती है:-

क्र.	व्यापम द्वारा प्राप्त मेरिट क्र.	Name of Candidate	Name of Father	Address	Category	Posting
1	2	3	4	5	6	7
Post- Radiographer/X-Ray Technician (Trama Unit) (Samvida)						
1	1	Sunil Kumar Malviya	Hulasmal Malviya	Champa bazar dhobi mohalla Kukdeshwar manasa 458116	UR/Nil/Open	ड्रामा यूनिट, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
2	1	Nitika Arya	Rajendra Vir Arya	F-88/43 Tulsi Nagar Tulsi Nagar, Bhopal 462001	UR/Nil/Female	ड्रामा यूनिट, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
3	1	Manoj Kumar Verma	Devi Lal Verma	ward no 11 Suthalia Post Suthalia Tehsil Biaora 465677	SC/Nil/Open	ड्रामा यूनिट, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
4	1	Tawal Singh Mudia	Beni Prasad Mudia	Vill Barhata vill barhata post barhata tehsil gotegaon 487001	ST/Nil/Open	ड्रामा यूनिट, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
Post- Plaster Technician (Trama Unit) Samvida						
1	1	Govind Muwel	Sukhlal Muwel	06 Bhaili Balwada Jinwani Satwas 455440	ST/Nil/Open	ड्रामा यूनिट, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

संविदा नियुक्ति की शर्त:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जो एक वर्ष की अवधि उपरांत स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी, तथा कार्य संतोषजनक होने पर तीन दिवस के विराम के पश्चात् पुनः आगामी वर्ष के लिए बढ़ाये जाने पर विचार किया जावेगा।
 - कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपर्युक्ता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
 - नियुक्ति इस संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी। संविदा सेवा भर्ती नियमों के अंतर्गत इन नियमों के अधीन नियुक्ति व्यक्ति की सेवायें कार्यकाल समाप्ति के पूर्व किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
 - इन नियमों के अधीन नियुक्ति व्यक्ति को एक वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं तीन दिवस का ऐच्छिक अवकाश पाने की पात्रता होगी। उक्त अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी, महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश तीन माह का देय होगा।
 - पेंशन एवं तत्संबंधी लाभ देय नहीं होगा।
 - नियुक्त कर्मचारी राजनीतिक/अवांछनीय गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
 - संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार को संलग्न अनुबंध पत्र रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर शर्तों सहित निष्पादन कराना अनिवार्य होगा।
 - चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।
 - संविदा नियुक्त उम्मीदवार नियमितीकरण के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा।
- नोट:- उक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/महिला आरक्षण संबंधी प्रावधान को ध्यान रखा गया है।

Sd/-
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

— निरंतर — 2

(2)

पृ. क्रमांक 1758/640 /एम.सी/5/16
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28/06/2016

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सभांगायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल म0प्र0, भोपाल।
5. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
8. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ट्रामा यूनिट, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जाँच उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
9. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
10. प्रशासकीय अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
11. लेखापाल, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
12. संबंधित.....
13. आदेश नस्ति /व्यक्तिगत नस्ति।

W. S. S. S.
28.06.16

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल